कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 232 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 08/02/2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– **सत्र 2020–21 के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन के संबंध में ।**

संदर्भ– (1) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 910 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 28.10.2020
(2) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 998 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 17.11.2020
(3) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1014 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 23.11.2020
(4) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1052 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 01.12.2020
(5) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1073 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 09.12.2020
(6) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 16 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 06.01.2021
(7) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 114 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020, दिनांक 27.01.2021

––0––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्रों के द्वारा सत्र 2020–21 के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं विषय / पाठ्यक्रम / संकाय परिवर्तन के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

संदर्भित पत्र 05 द्वारा निर्देशित किया गया है कि सत्र 2020–21 के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन के समय मूल / डुप्लीकेट टी.सी. माईग्रेसन ही संबंधित विद्यार्थी से प्राप्त किये जाये अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति महाविद्यालय में जमा नहीं करवाई जावें। यदि संबंधित विद्यार्थी से निर्धारित समय–सीमा में मूल / डुप्लीकेट टी.सी., माईग्रेशन प्राप्त नहीं होते है तो संदर्भित पत्र 03 में दिये गये निर्देशानुसार एक माह में जमा करने संबंधी वचन–पत्र के आधार पर प्रवेश मान्य किये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अतः ऑनलाइन ई–प्रवेश समय–सारिणी सत्र 2020–21 सी.एल.सी. षष्ठ चरण के परिप्रेक्ष्य में टी.सी. माईग्रेशन एवं अन्य दस्तावेजों का सत्यापन कराकर दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तिथि में वृद्दि कर **दिनांक 26.02.2021** निर्धारित की जाती है। शेष निर्देश यथावत रहेगें।

(अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

8/2/21

(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांकः 233 / 341 / आउशि / शा–5'अ' / 2020 भोपाल, दिनांक 08/02/2021

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, अपर आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन,भोपाल।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी.शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु ।

––––––––––– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश